

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

मनोज कुमार, मा0प्र0से0
विशेष सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,
DBT कोषांग, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (यो० एवं ले०)
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०)

पटना, दिनांक-23/12/2022

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट उतीर्ण) प्रोत्साहन योजना का भुगतान हेतु ई-कल्याण पोर्टल खोलने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका/बालक प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट उतीर्ण) प्रोत्साहन योजना का भुगतान मेधासॉफ्ट पोर्टल से करने का निर्णय लिया गया है। जिसके आलोक में जिलों द्वारा वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र/छात्राओं तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति/अनु० जनजाति कोटि की छात्राओं का मेधासॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध सूची से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त विवरणी का मिलान कर पात्र लाभुकों को चिन्हित, सत्यापन तथा अनुमोदन किया जा रहा है। जिलों के द्वारा अनुमोदित लाभुकों को मुख्यालय स्तर पर भुगतान किया जा रहा है।

उक्त योजनाओं की समीक्षा के क्रम यह पाया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलों द्वारा मेधासॉफ्ट पोर्टल पर 520950 के सापेक्ष अद्यतन 184362 लाभुकों का Marking किया गया है जो की लगभग 35% है। इसी प्रकार बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 483636 के सापेक्ष अद्यतन 331280 लाभुकों का Marking हुआ है जो की लगभग 68% है। शत प्रतिशत लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए यह आवश्यक है कि पोर्टल खोलकर उन बचे हुए लाभुकों का पंजीकरण करवाया जाए। इस संबंध में सप्ताहिक विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों द्वारा बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। अतएव यह निर्णय लिया गया कि बचे हुए लाभुकों के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 01.01.2023 से ई-कल्याण पोर्टल को खोला जाएगा, जिस पर लाभुक अपना विवरण उपलब्ध कराते हुए पंजीकरण तथा अपने आवेदन को Finalise करेंगे जिसके उपरान्त Finalise किये हुए लाभुकों के विवरणी को जिलों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा भुगतान हेतु राज्य मुख्यालय के लिए अग्रसारित किया जाएगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिनांक 25.12.2022 तक मेधासॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध लाभुकों का Marking पूर्ण कर लिया जाए क्योंकि दिनांक 25.12.2022 के बाद मेधासॉफ्ट पोर्टल मार्किंग हेतु बंद कर दिया जाएगा एवं दिनांक 01.01.2023 से बचे हुए लाभुकों का विवरण जो अनुमोदन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा के Login पर अग्रसारित किया जाएगा उसका शीघ्र सत्यापन तथा अनुमोदन करना सुनिश्चित करें ताकि ससमय लाभुकों को उक्त योजनाओं का लाभ दिया जा सके।

विश्वासिभाजन

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,
DBT कोषांग, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 18/वि0-1-14/2022-.....745

पटना, दिनांक-23/12/2022

प्रतिलिपि:- श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, वरीय तकनीकी निदेशक, NIC पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,
DBT कोषांग, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक-23/12/2022

ज्ञापांक 18/वि0-1-14/2022-.....745

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी,
DBT कोषांग, शिक्षा विभाग।